3

अनुसूची 14– फारम सं. 562

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख...

जिला.............मधुबनी ..संख्या.–.02 / .सन् 2020–21 ....तक

केश का प्रकारः खाद्य संरक्षा अधिनियम 2006

अभियोजकः– अभिहित पदाधिकारी, दरभंगा प्रमण्डल दरभंगा,–सह–खाद्य संरक्षा अधिकारी।

प्रतिपक्षीः–, मेसर्स बंशी साह, प्रोपराईटर–लाल साह पिता स्व0सरयुग साह, थाना–बेनीपट्टी,जिला– मधुबनी

आदेश का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
08.01.2021	खाद्य संरक्षा विभाग के अभिहित पदाधिकारी, ने पत्रांक–134 / डी0ओ0 / 20 दिनांक–14.09.2020, के द्वारा खाद्य संरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा–52 के अंतर्गत प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर अभियुक्त प्रोपराईटर लाल साह पिता स्व0 सरयुग साह, मेसर्स बंशी साह एण्ड सन्स, बेनीपट्टी, के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति देते हुये खाद्य संरक्षा मानक अधिनियम 2006 की सुसंगत धारा के अधीन कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। अभिहित पदाधिकारी का प्रतिवेदन है कि अभियुक्त के प्रतिष्ठान से दिनांक–09.03.2020 को 1:00 अपराह्न में श्री अशोक कुमार सिन्हा, खाद्य संरक्षा अधिकारी द्वारा 1– नारियल लड्डू का नमूना जॉच हेतुः– COMBINED FOOD & DRUG LABORATORY, AGAMKUAN (DEPARTMENT OF HEALTH, GOVT. OF BIHAR) में भेजा गया। प्रयोगशाला से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में अंकित opinon: Starch has been found in the given sample of Nariyal Laddu which does not comply as mentioned ingredients on the form VI. Hence the said sample is misbranded within the scope of Sec 3(zf) A(I) of the Fss Act 2006. जॉच में नारियल लड्डू misbranded पाया गया। खाद्य संरक्षा अधिकारी–सह–अभिहित पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक– 121 / डी0. ओ0 / 20 दिनांक– 08.08.2020 द्वारा, प्रोपराईटर–लाल साह पिता स्व0 सरयुग साह मेसर्स बंशी साह एण्ड सन्स, इंदिरा चौक, बेनीपट्टी को जॉच प्रतिवेदन पर 30 दिनों के अंदर नमूना दोबारा जॉच हेतु अवसर की सूचना दी गयी किन्तु श्री साह द्वारा कोई बचाव पक्ष अभिहित पदाधिकारी के समक्ष नहीं रखा गया। अभिहित पदाधिकारी द्वारा अभियोजन चलाने की स्वीकृति आदेश भी भेजा गया है। अभियुक्त को नोटिस देते हुये उनसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचना भेजी गई। श्री लाल साह पिता–स्व0सरयुग साह, थाना–बेनीपट्टी, जिला–मधुबनी मोबाईल संख्या–9661001842 अनुज्ञप्ति संख्या–10419320000080 स्वयं उपस्थित होकर यह स्वीकार किया कि वे नारियल के लड्डू में मात्र नारियल का पाउडर एवं चीनी के मात्रा रहती है, जो दोनों में मिलावट की संभावना नहीं रहती है। दोनों सामान वे बाजार सेक्रय कर लाते हैं। वे एक बेरोजगार व्यक्ति हैं तथा रोजगार का साधन मात्र यही दुकान है। भविष्य में इसकी पुनरावृति नहीं किये जाने का लिखित आश्वासन दिया गया। श्री अशोक कुमार, खाद्य संरक्षा अधिकारी, मधुबनी सुनवाई के समय उपस्थित होकर श्री लाल साह के कारण पृच्छा पर लिखित मंतव्य दिया कि प्रोपराईटर के प्रतिष्ठान से नारियल लडडू का नमूना लिया गया था जो जॉच में Misbrand पाया गया। अतः भविष्य के लिए चेतावनी देते हुये दण्ड निरूपित किया जाय। अभियुक्त श्री लाल साह एवं खाद्य संरक्षा अधिकारी श्री अशोक कुमार को सूना। दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि:–	

निष्कर्षः–

अभिहित पदाधिकारी, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा द्वारा अभियोजन स्वीकृति हेतु दायर आवेदन, प्रयोगशाला से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन, प्रतिपक्षी का प्रत्युत्तर, पक्षकारों द्वारा सुनवाई के क्रम में प्रस्तुत पक्ष, उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन एवं विवेचन किया। श्री अशोक कुमार सिन्हा, खाद्य संरक्षा अधिकारी, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा द्वारा प्रतिपक्षी के प्रतिष्ठान से प्राप्त नमूना संग्रह कर प्रयोगशाला में जॉच हेतु भेजा गया जहॉ नमूना misbranded पाया गया। misbranded सामानों की बिक्री करना, अपराध है। प्रतिपक्षी का जवाब स्वीकार योग्य नहीं है। चूँकि इनकी पहली गलती है। ऐसी स्थिति में खाद्य संरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा–26(2)(ii) के अंतर्गत मैं इन्हें दोषी पाता हूँ। अतः खाद्य संरक्षा अधिकारी, प्रतिपक्षी को सूनने के बाद चूँकि अभियुक्त का प्रथम अपराध तथा अपराध की प्रवृति को देखते हुए बिक्रीकर्ता (Seller):– को इस अपराध के लिए खाद्य संरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा–52 के तहत – मो0 10000/–(दस हजार) रूपये का दण्ड निरूपित करता हूँ। साथ ही चेतावनी देता हूँ कि भविष्य में मानक सामान का ही बिक्री करेंगे।

अभियुक्त दण्ड की राशि उचित शीर्ष में चालान के माध्यम से अभिहित पदाधिकारी, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा के कार्यालय में आदेश की तिथि से एक पक्ष के अंदर जमा करें। खाद्य संरक्षा अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वे दण्ड की राशि अभियुक्त से विधिवत् चालान के माध्यम से जमा करावें। यदि प्रतिपक्षी द्वारा दण्ड की राशि जमा नहीं की जाती है तो अभिहित पदाधिकारी अभियुक्त के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के तहत अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अभिहित पदाधिकारी/खाद्य संरक्षा अधिकारी,दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को अनुपालन हेतु भेजी जाय। वाद निष्पादित।

आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते हैं।

लेखापित

8/1/2021

न्याय निर्णायक अधिकारी–सह–
अपर समाहर्ता, मधुबनी।

8/1/2021

न्याय निर्णायक अधिकारी–सह–
अपर समाहर्ता, मधुबनी।

ज्ञाप संख्या 18 /रा0 न्या0 मधुबनी दिनांक 8.1.2021

प्रतिलिपिः– प्रोपराईटर लाल साह पिता स्व0 सरयुग साह, मेसर्स बंशी साह एण्ड सन्स, बेनीपट्टी, को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– खाद्य संरक्षा अधिकारी, अभिहित पदाधिकारी कार्यालय, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को उनके पत्रांक–134/20 दिनांक–14.09.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

8/1/2021

न्याय निर्णायक पदाधिकारी–सह–
अपर समाहर्ता, मधुबनी।